No. I.12011/6/2011-Org. 2/2
Directorate General, ITBP
(Ministry of Home Affairs)
Government of India,
Block No.2, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 11th March, 2012

Memorandum

Subject: The Notification of Indo-Tibetan Border Police Force, Deputy Commandant (OL) and Assistant Commandant (OL), Group 'A' posts Recruitment Rules, 2011

A copy of Notification of Indo-Tibetan Border Police Force, Deputy Commandant (OL) and Assistant Commandant (OL), Group 'A' posts Recruitment Rules, 2011 after having been published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 62 (E) dated 03/02/2012 is sent herewith for information and necessary action at your end please.

2. All IsG (Frontier HQ) are requested to kindly circulate a copy of above notification to all Units, Sector HQs and Training Centres under their ops/administrative control.

Encl: As above.

13/3/12
(R.S. Pathak)
Dy Inspector General (Org)

To

1. All Inspectors General (Frontier HQ)/ IG (Training Zone)/ IG (L&C) Zone, ITB Police.
2. Director, ITBP Academy, Mussoorie.
3. DIG, CIJW/NITSRDR/NTCD & A, ITB Police.
4. Commandants Base Hospital Delhi/ Composite Hospital Chandigarh and Itanagar.
5. Sh. Jagmal Singh, Supdt. (Leg-I), OL Wing, Legislative Department, Ministry of Law, Govt. of India, 7th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi with a copy of above notification for favour of information please.

Internal:

1. Dy. Inspector General (Training), Dte Genl, ITB Police.
2. Senior Administrative Officer (Estt), Dte Genl, ITBP.
3. Second-in-Command, Rectt. Cell, Dte. Gen., ITBP.
4. Dy. Commandant(IT), Dte Genl. with the request to upload above notification in MHA/ITBP website.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2012/माघ 14, 1933
No. 43] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2012/MAGHA 14, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 62(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल में उप कमांडेंट (राजभाषा) और सहायक कमांडेंट (राजभाषा) के समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, उप कमांडेंट (राजभाषा) और सहायक कमांडेंट (राजभाषा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सा दृष्टया योग्यता.**— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I में है, प्रोन्नति और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जिसमें इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर नियुक्ति सम्मिलित हैं।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **अधिवर्षिता.**— ऐसे अधिकारी जो उप कमांडेंट (राजभाषा) और सहायक कमांडेंट (राजभाषा) का पद धारण किए हुए हैं, उस मास के जिसमें वे सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होंगे।

परन्तु वे अधिकारी जिनके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होंगे।

9. **व्यावृति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग, के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप कमांडेंट (राजभाषा)	01* (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 3, 15600–39100 रू0 + ग्रेड वेतन 6600 रू0	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(6)
लागू नही होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे सहायक कमांडेंट (राजभाषा) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर समूह 'क' और समूह 'ख' अर्थात सहायक कमांडेंट (राजभाषा) और सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक)/निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) के रैंक में आठ वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो जिसमें सहायक कमांडेंट (राजभाषा) के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा हो और यथाविहित प्रोन्नति पूर्व पाठयक्रम या पाठयक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन बैंड, और ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य विभागों के ऐसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जो नियमित आधार पर समतुल्य या सदृश पद धारण किए हुए हैं या वेतन बैंड–3, 15600–39100 रूपये + ग्रेड वेतन 5400 रूपये में अन्य विभाग से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार केऐसे अधिकारी जिन्होने उस श्रेणी में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव है।

टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अर्न्तगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2.— प्रोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3.— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहॉं एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहॉं यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (1) महानिदेशक या अपर महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष (2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य (3) उप–महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य (4) निदेशक या उपसचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श क्षेत्र से छूट प्राप्त है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सहायक कमांडेंट (राजभाषा)	04* (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 3; 15600–39100 रू0 + ग्रेड वेतन 5400 रू0	चयन

(6)
लागू नही होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक)/निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने यथाविहित प्रोन्नति पूर्व पाठयकम या पाठयकमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1.**— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.**— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस

	तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन बैंड, और ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति द्वारा:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य विभागों के ऐसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जो नियमित आधार पर समतुल्य या सदृश पद धारण किए हुए हैं या वेतन बैंड–2, 9300–34800 + ग्रेड वेतन 4800 रूपये में केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य विभागों से ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव है। **टिप्पण 1.**— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अर्न्तगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.**— प्रोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3.**— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा के सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष (2) महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (3) उप–महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य (4) निदेशक या उपसचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श क्षेत्र से छूट प्राप्त है।

[फा. सं. I-12011/6/2011-संग.]

हरीश चन्द्र, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2012

G.S.R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Commandant (Official Language) and Assistant Commandant (Official Language) Group 'A' posts in the Indo-Tibetan Border Police Force, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Deputy Commandant (Official Language) and Assistant Commandant (Official Language), Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**— The number of said posts, their classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc..**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for promotion and appointment including appointment on deputation or re-employment under the provisions of these rules.

7. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Superannuation.**—Officers holding the post of Deputy Commandant (Official Language) and Assistant Commandant (Official Language) shall retire from the service on the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty- seven years:

Provided that an officer whose date of birth is on the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty- seven years.

9. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Deputy Commandant (Official Language)	1* (2011) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', (Non-Ministerial).	PB-3, Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 6600/-.	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption in the grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
By Promotion : From amongst Assistant Commandant (Official Language) of Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service in the grade failing which eight years combined service in Group 'A' and Group 'B' i.e. in the rank of Assistant Commandant (Official Language) and Subedar Major (Hindi Translator)/Inspector (Hindi Translator) with minimum three years regular service as Assistant Commandant (Official Language) and have successfully completed pre- promotional course or courses as prescribed. **Note 1.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.**— For the purpose of minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

353 GI/12-3

By deputation:

By deputation of officers from other Central Government or State Government departments holding equivalent or analogous post on regular basis or the Officers of other Central Government or State Government departments in Pay Band-3, Rs.15600-39100 and Grade Pay of Rs. 5400/-having five years regular service in the grade and minimum five years experience in translation from Hindi to English and vice-versa.

Note. 1— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 52 years as on the closing date of receipt of application.

Note. 2— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.

Note 3.— For the purpose of computing minimum qualifying service for appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director-General or Additional Director-General Indo-Tibetan Border Police Force. - Chairman 2. Inspector-General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member 3. Deputy Inspector-General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Commandant (Official Language).	4* (2011) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', (Non-Ministerial).	PB-3, Rs. 15600-39100 and Grade Pay of Rs. 5400/-.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotion.	By promotion failing which by deputation.

(11)

By Promotion:

From amongst Subedar Major/Inspector (Hindi Translator) of Indo-Tibetan Border Police Force with three years regular service in the grade and have successfully completed pre- promotional course or courses as prescribed.

Note 1.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay band and grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

By deputation:

By deputation from the other Central Government or State Government departments holding equivalent or analogous post on regular basis or the officers of Central Government or State Government departments in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs.4800 and having minimum two years regular service in the grade and minimum three years experience in translation from Hindi to English and vice-versa.

Note. 1— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 52 years as on the closing date of receipt of application.

Note. 2— The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.

Note 3.— For the purpose of computing minimum qualifying service for appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation..

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director General or Additional Director-General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Chairman 2. Inspector-General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member 3. Deputy Inspector-General, Indo-Tibetan Border Police Force. - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

[F. No. I-12011/6/2011-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.